न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 01/2016 (अपील)

GCMS No. 2016/00403

गजानन्द वल्द देवीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम वड़ोदिया कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

——अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा

——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 17.09.2015 मि0नं0 62/2015 न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री महेन्द्र कुमार नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

दिनांकः–16.03.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम बड़ोदिया की भूमि खसरा नम्बर 747 की 0.49 हे0 किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 62/2015 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 100/– रूपये का शास्ति व 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 17.09.2015 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 19.10.2015 को पेश की गई है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट द्वारा अपीलान्ट को पटवार हल्का की रिपोर्ट पर सम्वत वर्ष 2072 में ग्राम बडोदिया की आराजी खसरा नं0 747 की रकबा 0.49 हे0 पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने एवं तावान राशि 100/–तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

किये जाने की आज्ञा पारित करने में भारी कानूनी भूल की है । जो निरस्त किये जाने योग्य है । योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब देही एवं शहादत हेतु नोटिस तामिल कराये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही कर अपील पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । पटवार हल्का रिपोर्ट तथा बयान पटवारी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण करना प्रमाणित नहीं होता है और न ही पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय पर वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट को पूर्व में बेदखल करने बाबत कोई दखलनामा रिकॉर्ड पर उपलब्ध किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर आदेश जेर अपील बाबत सिविल कारावास का आदेश पारित करने में भूल की है । दिनांक 12.10.2013 से 13.10.2013 तक नकल निर्णय लेने के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश है । निर्णय जेर अपील की यह प्रथम अपील है इससे पूर्व अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय की कोई अपील माननीय न्यायालय अथवा अन्य न्यायालय में पेश नहीं की है । भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है । अपीलांट उक्त भूमि पर भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 17.9.2015 निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब देही एवं शहादत हेतु नोटिस तामिल कराये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही कर अपील पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । पटवार हल्का रिपोर्ट तथा बयान पटवारी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण करना प्रमाणित नहीं होता है और न ही पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय पर वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट को पूर्व में बेदखल करने बाबत कोई दखलनामा रिकॉर्ड पर उपलब्ध किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर आदेश जेर अपील बाबत सिविल कारावास का आदेश पारित करने में भूल की है । विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है । अपीलांट उक्त भूमि पर भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 17.9.2015 निरस्त फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। जो सही है । अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार चेचट के आदेश दिनांक 17.09.2015 के विरूद्व दिनांक 19.10.2018 को पेश की गई है । नकल निर्णय लेने के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य मानी जाती है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि गजानंद आत्मज जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम बडोदिया की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 747 की रकबा 0.49 हैक्टेयर में अनाधिकृत कब्जा कर फसल काश्त किया है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत पश्चातवर्ती का नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल एवं 100/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

8. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 01 माह में प्रस्तुत कर दे तथा तहसीलदार कब्जा हटाए जाने की पुष्टि करले तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है । शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner